AC-II

T/P-10-29/2024

पी.सी. सोखला / पोटूराम

22/3/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। मूलवाद में अप्रार्थी सं. 2 व 3 का नाम हटाया गया है। मूलवाद के अनुसरण में अप्रार्थी सं. 2 व 3 का नाम हटाया जाता है। पास्ते बहस नं. दिनांक 05/04/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

05/4/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। बहस नं. पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना। बहस सुनकर पत्रावली का मय दस्तावेज व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद को निर्णित कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को एक को स्थाई निषेधाज्ञा के पालन किया गया है। जब मूलवाद ही निर्णित हो चुका है तो प्रा.प. नं. को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम नं. दिनांक 27/02/2024 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर डस्ट नेचर के कम होकर स्टेलग्न मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 5/4/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner